



# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर परिपत्र

क्रमांक 47.....

दिनांक 18/06/14.....

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू किये जाने बाबत।

---00---

छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र. एफ 21-8/टी/19/12/निविदा, नया रायपुर दिनांक 25.01.2014 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त निर्माण विभागों हेतु ठेकेदारों के पंजीयन की विभागवार व्यवस्था के स्थान पर एकीकृत पंजीयन व्यवस्था ई-रजिस्ट्रेशन लागू किया गया है।

अतः राज्य शासन के आदेशानुसार उक्त नवीन व्यवस्था मण्डल में दिनांक 01.07.2014 से लागू की जाती है। इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक से मण्डल द्वारा आमंत्रित निविदाओं में मण्डल एवं एकल पंजीयन व्यवस्था के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

(आदेशानुसार)

अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय रायपुर

रायपुर दिनांक 18/06/2014

पृ. क्र. 477 /अ.आ./मुख्या./14,

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. उपायुक्त-1/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग-1/2/3/4/राजधानी परियोजना संभाग-1/II रायपुर /विद्युत संभाग/दुर्ग/परि. संभाग दुर्ग/बिलासपुर/ कोरबा/राजनांदगाँव /रायगढ़/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागाँव।
9. नेक्स्ट टेंडर (इंडिया) प्रा. लि. साकेत, बी-31 शैलेन्द्र नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मे./श्री .....

.....। कृपया एकीकृत पंजीयन व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग के सभी संभागीय कार्यालय (सुविधा केन्द्र), पंजीकरण अधिकारी, प्रमुख अभियंता छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग से सम्पर्क करें अथवा अधिक जानकारी हेतु लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट [www.cg.nic.in/pwdraipur](http://www.cg.nic.in/pwdraipur) का अवलोकन करें। मण्डल में पूर्व पंजीकृत ठेकेदार उनके पंजीयन की वैधता अनुसार यथावत पंजीकृत रहेंगे। वैधता अवधि समाप्ति के पूर्व एकीकृत व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय रायपुर